राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.9 (922) परि / RTA/ मु. / 2002 / I /16599 जयपुर, दिनांकः 11/1/2013

अधिसूचना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 921 (अ) दिनांक 13.08.2003 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 74 की उप–धारा (3) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर को निम्न दिशा–निर्देश जारी करती है, अर्थात् :–

निर्देश

यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जोधपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले ऑटो रिक्शा / ऑटो तांगा की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः जोधपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले तीन पहिया ऑटो रिक्शा / ऑटो तांगा की संख्या सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित करती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से जोधपुर शहर में संचालित ऑटो रिक्शाओं की अधिकतम संख्या 6400 से बढ़ाकर 6700 इस शर्त पर की जाती है कि नये परमिट केवल एल.पी.जी. / सी.एन.जी. चलित तिपहिया यात्री वाहनों को ही जारी किये जावेंगे।

राज्यपाल के आदेश से

(पवन अरोड़ा)
उप शासन सचिव (मु.)